UPAL010119862022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), कोर्ट संख्या–03, अलीगढ़।

वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय, एच.जे.एस. जे0ओ0 नं0– यू0पी0 1755

जमानत प्रार्थना पत्र सख्या 6097/2022

सुदेश पुत्र शंकर सिंह निवासी उसरह रसूलपुर थाना टप्पल जिला अलीगढ़।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

अपराध सं0 437/2016
सी0सी0 सं0 172/2017
धारा 363,366,376डी भा0द0स0
व 5/6 पॉक्सो एक्ट
थाना– इगलास।

17.10.2022 :–

1. जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सुदेश की तरफ से सत्र परीक्षण सं0 172/2017 अपराध सं0 437/2016 अं0 धारा–363,366,376 भा0द0स0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना इगलास जिला अलीगढ़ के अभियोग में जमानत पर उन्मुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

3. अभियुक्त की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के न्यायालय से दिनांक 21.12.2020 से गैर जमानतीय वारण्ट चल रहे हैं, इस दौरान प्रार्थी न्यायालय में गैर हाजिर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त इस दौरान अपने अधिवक्ता को सूचित नहीं कर सका था। इस दौरान प्रार्थी/अभियुक्त की तबियत खराब रही तथा कोविड़ 19 के वहं से भी अदालत हाजिर नहीं आ सका। प्रार्थी/अभियुक्त पहले से ही जमानत पर था तथा प्रत्येक तारीख पर न्यायालय हाजिर आता रहा है। प्रार्थी ने उपरोक्त जानबूझकर नहीं की है तथा प्रार्थी/अभियुक्त आगे से न्यायालय द्वारा नियत तारीखों पर हाजिर आता रहेगा, किसी तरह से कोई भी चूक नहीं करेगा। वह अन्य कोई अपराध नहीं करेगा। प्रार्थी दिनांक 26.09.2022 से अभियुक्त जेल में निरूद्ध है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में पैरोकार शंकर सिंह अभियुक्त की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 21.12.2020 से उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये। अभियुक्त द्वारा अनुपस्थिति का कारण स्वयं की तबियत खराब होना एवं कोविड़ 19 कहा गया है एवं जानबूझकर अनुपस्थित न होना कहा गया है। साथ में यह भी कहा गया है कि वह अपने अधिवक्ता को सूचित नहीं कर सका था। अभियुक्त द्वारा दौरान विचारण न्यायालय में उपस्थित होने का आश्वासन दिया गया है और उक्त कथन को शपथ पत्र से समर्थित किया गया है। अभियुक्त दिनांक 26.09.2022 से वारण्ट पर कारागार में निरूद्ध है। मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सुदेश द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सं0 6097/2022 अं0 धारा–363,366,376डी भा0द0स0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना इगलास स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा **1,00,000/–** रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व उसी धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 17.10.2022

(वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय)
अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) कोर्ट सं0 3,
अलीगढ़।

Digitally signed by VIRENDRA NATH PANDEY
Date: 2022.10.17 17:15:04 IST
Reason: Document Owner
Location: Addl. District and Sessions Court
(Pacso) 03